न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 48/2020

अनुवान राजूराम बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 29.09.2020

राजूराम पुत्र लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादी

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री सांवरमल सारण वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 358 तादादी 4.7800 हैक्टेयर रोही सारसर तहसील सरदारशहर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र लिछमणराम अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम राजूराम पुत्र लिछमणराम है। वादगत कृषि के अन्य सह काश्तकारों का वाद पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि वादी के नाम संशोधन से उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए उन्हें बिना पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत किया है।

वादगत कृषि भूमि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादी का नाम राजेन्द्र दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

में वादी का नाम राजेन्द्र अशुद्ध चला आ रहा है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में राजूराम अंकित है जो सही है। वादी का नाम राजेन्द्र हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी का वास्तविक नाम राजूराम है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का राजेन्द्र होने के कारण वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं व अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश गलत दर्ज नाम राजेन्द्र के स्थान पर सही नाम राजूराम दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादी तहसीलदार सरदारशहर से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 358 तादादी 4.7800 हैक्टेयर रोही सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र लिछमणराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम राजूराम पुत्र लिछमणरामदर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र लिछमणराम के स्थान पर राजूराम पुत्र लिछमणराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खसरा नम्बर 358 की छायाप्रति।
2. पैन कार्ड की छायाप्रति।
3. पहचान पत्र की छायाप्रति।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. जन–आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. राशन कार्ड की छायाप्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

7. सरपंच ग्राम पंचायत देराजसर का प्रमाण पत्र।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी के नाम राजूराम अंकित है। सह खातेदारों ने भी इकबाल जबाब दावा पेश किया हैं एवं नाम संसोधन मे कोई भी आपत्ति नहीं होना अंकित किया हैं। ग्राम पंचायत देराजसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया हैं कि राजेन्द्र एवं राजूराम एक ही व्यक्ति हैं।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 358 तादादी 4.7800 हैक्टेयर रोही सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र लिछमणराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम राजेन्द्र उर्फ राजूराम पुत्र लिछमणराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को निम्नानुसार दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	सारसर	ख0 नं0 358 तादादी 4.7800 हैक्टेयर	राजेन्द्र पुत्र लिछमणराम	राजेन्द्र उर्फ राजूराम पुत्र लिछमणराम

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 48/2020
अनुवान राजूराम बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सांवरमल सारण एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कृषि भूमि ख0 नं0 358 तादादी 4.7800 हैक्टेयर रोही सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र लिछमणराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम राजेन्द्र उर्फ राजूराम पुत्र लिछमणराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

.....

...बीज.....मुबलि .....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 09 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	07	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested